:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूँगरपूर राजस्थान ::
पीठासीन अधिकारी :– श्रीकान्त व्यास आर.ए.एस.
मूकदमा नम्बरः– 13/22

दायर दिनांकः– 19.04.2022
निर्णय दिनांकः– 15.07.2022

1. श्री अखमा पिता खातरा मीणा डामोर उम्र वयस्क निवासी अम्बाडा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राज.।

वादी

बनाम

1. श्री शंकर पिता सरदारा मीणा डामोर उम्र वयस्क निवासी अम्बाडा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राज.।
2. श्री रूमाल पिता सरदारा मीणा डामोर उम्र वयस्क निवासी अम्बाडा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राज.।
3. गंगाडी पिता सरदारा मीणा डामोर उम्र वयस्क निवासी अम्बाडा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राज.।
4. रतनी पिता सरदारा मीणा डामोर उम्र वयस्क निवासी अम्बाडा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राज.।
5. मणीया पिता सरदारा मीणा डामोर उम्र वयस्क निवासी अम्बाडा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राज.।
6. देवा पिता मनजी मीणा डामोर उम्र वयस्क निवासी अम्बाडा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राज.।
7. श्री भूमिधारी तहसीलदार महोदयजी चिखली तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राज.।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकार अधिनियम व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम एवं सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

उपस्थितः– श्री रमेशचन्द्र डामोर वादी की ओर
श्री कान्तिलाल डामोर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की ओर

निर्णय दिनांक 15.07.2022

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। व गांव अम्बाडा के स्थायी निवासी है। मेहनत मजदुरी व कृषि कार्य कर अपने परिवार का भरण पोषण करते है। तथा मुल पुरूष खातरा पिता बाबरा के वारीसान है। तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्य होकर गरीब व अनपढ लोग है। जिनका सरपंच द्वारा प्रमाणित पारिवारिक सजरा वाद के संलग्न है।

यह कि वादी व प्रतिवादीगण कब्जे काश्त की आराजी मौजा अम्बाडा में खाता संख्या 508, खसरा नम्बर 2851, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2860, 2918, 2921, 2922, 2951, 2952, 2954, 2955, 2956 खेत किता 15 कुल रकबा 3.2281 है0 होकर स्थित है जो वादी व प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की आराजी है। जिस पर वादी व प्रतिवादीगण पूर्वजों से ही लगातार कब्जा होकर खेती का कार्य किया जा रहा है। और अब वर्तमान में भी कब्जा मौके पर वादी का यथावत रू‍प से बना हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
चिखली जि. डूंगरपुर

यह कि वादी ने संयुक्त कब्जे काश्त की वादग्रस्त आराजीयात पर लोन लेने हेतु वादी ने खाते की नकले निकलवायी तो पता चला कि हाल जमाबन्दी में वादी का नाम दर्ज अंकित नहीं है। जिस पर वादी ने नामान्तरण की नकल निकलवाई तो पता चला कि मुलपूरूष खातरा पिता बाबरा की मृत्यु के बाद खोले गए नामान्तरण में पॉच पुत्र संतान सरदारा, गेंदाल, मनजी, गौतम व अखमा के नाम नियमानुसार जोडकर दर्ज किये जाने थे लेकिन प्रतिवादीगण के पूर्वजों की मिलीभगत के कारण मुलपुरूष खातरा पिता बाबरा की मृत्यु के बाद खोले गए नामान्तरण में संतान सरदारा, गेंदाल, मनजी, गौतम के नाम दर्ज किए गए। लेकिन वादी अखमा का नाम दर्ज नहीं कर खातेदार काश्तकार के अधिकरों के वंचित किया गया। जिस पर वादी ने पटवारी व तहसीलदार चिखली से मिलकर नियमानुसार मुलपुरूष खातरा पिता बाबरा की मृत्यु होने पर वास्तविक विधिक वारिसानों की जॉच पडताल कर नामान्तरण दर्ज किया जाना था जिसके अनुसार संतान सरदारा, गेंदाल, मनजी, गौतम, के साथ वादी अखमा के नाम नियमानुसार जोडना आवश्यक है। लेकिन राजस्व कर्मचारियों से राजस्व रेकॉर्ड दुरस्त करने की बात कही लेकिन रिकॉर्ड दूरस्त नहीं किया। जिससे वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया जिससे वाद मयाद अवधि में पेश है।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीए नोटिस तलब किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की और से अधिवक्ता श्री कान्तिलाल डामोर ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया।

दिनांक 03.06.2022 को प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 अनुपस्थित रहे। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 01.07.2022 को पेश हो।

पत्रावली दिनांक 01.07.2022 को पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने स्वयं उपस्थित होकर वादी के पक्ष में सहमति पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली दिनांक 15.07.2022 को पेश हों।

पत्रावली दिनांक 15.07.2022 को पेश हुई। वकुलाय पक्षकार उपस्थित। वकील प्रतिवादीगण ने प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से वादी के पक्ष में सहमति व्यक्त कर वाद में और कोई कार्यवाही नहीं चाही।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रतिवादीगण का वादी के पक्ष में सहमति देने से वाद इसी स्तर पर निर्णय किया जाकर आदेश दिया जाता है कि

आदेश

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा अम्बाडा तहसील चिखली में खाता संख्या 508, खसरा नम्बर 2851, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2860, 2918, 2921, 2922, 2951, 2952, 2954, 2955, 2956 खेत किता 15 कुल रकबा 3.2281 है0 में नियमानुसार वादी अखमा पिता खातरा मीणा को प्रतिवादीगण के साथ सहखातेदार (1/5 हिस्सा) घोषित किया जाता है। तहसीलदार चिखली वादी श्री अखमा पिता खातरा मीणा का नाम उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करावें।

(श्रीकांत व्यास)
उपखंड अधिकारी
चीखली जि. डूंगरपुर

आदेश आज दिनांक 15.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखंड अधिकारी
चीखली जि. डूंगरपुर